हमीरपुर पुलिस

मिशन शक्ति अभियान 5.0

दिनाँक- 20.09.2025

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु मा0 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व अभियानों की भांति एक व्यापक कार्य योजना तैयार कर अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए शारदीय नवरात्रि पर्व के अवसर पर दिनांक 22.09.2025 से 'मिशन शक्ति -5.0' का विशेष अभियान के तहत आज दिनांक 20.09.2025 को मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा किये गए शुभारंभ का लाइव प्रसारण सभागार रिजर्व पुलिस लाइन्स हमीरपुर में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर व जनपद के विभिन्न सर्किल व थाना में नियुक्त/ कार्यरत पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी के द्वारा देखा व सुना गया।

इस विशेष अभियान के अंतर्गत गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार स्तर से जारी आदेश / निर्देश की रुपरेखा तैयार करके महिला पुलिस कर्मियों एवं सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित कर महिला सुरक्षा, विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना एवं महिला हिंसा से संबंधित तथा अन्य शिकायतों के निवारण हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नंबर फोरम के संबंध में जानकारी प्रदान करने संबंधित कार्यक्रम संपादित किए जाएंगे।

- ❖ स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में मिशन शक्ति क्षेत्र के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम एवं शिकायतों का निस्तारण, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांव, वार्ड, मोहल्लों के रिहायशी क्षेत्र में चौपाल लगाकर जन जागरूकता एवं शिकायतों का निस्तारण एवं क्षेत्र के प्रमुख बाजारों / कस्बों / कॉर्पोरेट क्षेत्र प्रमुख चौराहा में जन जागरूकता शिकायतों का निस्तारण करना आदि किए जाएगें।
- ❖ मिशन शक्ति के तहत जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त महिला बीट पुलिस कर्मियों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में जाकर महिला सशक्तिकरण अभियान के संबंध में बातचीत कर जानकारी प्रदान की गई एवं साइबर अपराध से बचाव के सम्बन्ध में जानकारी साझा की गई तथा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 के उपयोग के बारे विस्तृत जानकारी दी जायेगीं। महिलाओं की सुरक्षा व समस्या का त्वरित निस्तारण भी किया जायेगा।
- ❖ बालिकाओं एवं महिलाओं को आत्मरक्षा, गुड टच / बैड टच तथा उनके अधिकारों व महिला सम्बन्धी अपराधों से बचाव हेतु जागरुक किया जायेगा।
- ❖ महिलाओं / बालिकाओं को बताया गया कि बस/रास्तों/सार्वजनिक स्थल में मनचलों एवं शोहदों द्वारा छेडखानी की घटना होने पर डरने के बजाय तत्काल हेल्पलाइन नंबर **1090** व थाना पर जाकर तत्काल एफ0आई0आर0 के लिए जागरुक किया जायेगा।
- ❖ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि) का सावधानी से उपयोग करने एवं जागरुक करने हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश एवं निर्देशों के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। महिला एवं बालिकाओं को यातायात नियमों के बारे में अवगत कराया गया व स्वयं नियमें का पालन करते हुए अपने घर व आसपास के लोगों का भी जागरुक करने के लिए कहा जायेगा।
- ❖ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, **1090** वीमेन पावर लाइन , **181** वीमेन हैल्पलाइन , **112** पुलिस आपातकालीन सेवा , **102** गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस हेल्पलाइन, **108** एम्बुलेंस सेवा, **1098** चाइल्ड लाइन, **101** अग्निशमन सेवा व **1930** साइबर हेल्पलाइन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी साझा की जायेगी।